बैंकरों द्वारा 21 जनवरी को कैशलेस शिविर लगाया जाएगा— जिला कलेक्टर

जयपुर 11 जनवरी। राज्य सरकार के तीन वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आमजन को कैशलेस को बढ़ावा देने के संबंध में जिला कलेक्टर श्री सिद्वार्थ महाजन की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में बैंक अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें 21 जनवरी को एस.एम.एस इन्वेस्टमेन्ट मैदान अम्बेडकर सर्किल पर वृहत स्तर पर कैशलेस शिविर लगाए जाने के संबंध में चर्चा की गई।

जिला कलेक्टर ने बैंक अधिकारियों से कहा है कि वे 21 जनवरी को वृहत स्तर पर लगाए जाने वाले कैशलेस शिविर में आम नागरिकों, व्यापारियों एवं उधमियों को कैशलेस डिजिटल भुगतान के विभिन्न तरीकों की जानकारी दें ताकि जयपुर शहर में कैशलेस को बढ़ावा मिल सकें। उन्होंने बैंक अधिकारियों को बताया कि जिले में सभी ग्राम पंचायत समितियों, ग्राम पंचायतों, व्यापार मण्डलों,औधोगिक संस्थानों के एसोसिएशन कार्यालय स्तर पर कैशलेस शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

उन्होंने बैंकों के अधिकारियों से कहा है कि उन्हें प्रशासन द्वारा शिविर स्थल पर स्टॉल, लाईट, टैन्ट आदि की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। इस दौरान बैंकर शिविर में कैशलेस के विभिन्न तरीकों जैसे पावर पाईन्ट प्रेजेन्टेशन,फिल्म प्रदर्शन, यू.पी.आई, यू.एस.एस.डी, पोस मशीन, आधार आधारित मशीनों से अधिक से अधिक कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी बैंकरों को इस कार्यक्रम में भाग लेने को कहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भी शिविर का अवलोकन करेंगी। सभी बैंक अधिकारी अपने—अपने बैंक के स्टॉल पर उपस्थित रहें और अपने बैंक के नाम का बेनर स्टॉल में लगाए। जिला कलेक्टर ने बैंकरों से कहा है कि वे शिविर के दौरान कैशलेस का डेमोस्ट्रेशन देने के साथ खाता खोलने, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बनाने के भी कार्य करें।

लीडबैंक अधिकारी श्री के.के वर्मा ने सभी बैंकरों को 21 जनवरी को लगाई जाने वाले कैशलेस शिविर में मौजूद रहने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री आलोक रंजन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर उत्तर श्री पारस चन्द्र जैन, अतिरिक्त जिला कलेक्टर तृतीय श्री कैलाश चन्द्र यादव सहित सभी बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहें।

सुराज एक्सप्रेस गुरूवार को शाहपुरा व फागी की चार ग्राम पंचायतों में जायेगी

राज्य सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के अवसर पर जिले में सुराज एक्सप्रेस मोबाईल वेन के माध्यम से कलाजत्था कलाकारों द्वारा सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है।

जिला कलेक्टर श्री सिद्वार्थ महाजन ने बताया कि सुराज एक्सप्रेस मोबाईल वेन के माध्यम से गुरूवार 12 जनवरी को पंचायत समिति शाहपुरा की ग्राम पंचायत सुराणा एवं टोड़ी एवं पंचायत समिति फागी की ग्राम पचांयत चौरू एवं चकवाड़ा में कला जत्था कलाकार अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति देंगे।

झोटवाड़ा औधोगिक क्षेत्र में गुरूवार को आयोजित होगा कैशलेस शिविर

जिला प्रशासन द्वारा जिले में आमजन, उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों उधमियों के बीच कैशलेस भुगतान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये आयोजित किये जा रहे विशेष शिविरों में कैशलेस भुगतान संबंधित विभिन्न तरीकों की जानकारी दी जायेगी।

जिला कलेक्टर श्री सिद्वार्थ महाजन ने बताया कि इस कड़ी में गुरूवार 12 जनवरी को झोटवाड़ा औधोगिक क्षेत्र एसोसिएशन भवन में आयोजित किया जायेगा।

जिला कलेक्टर ने जिले में दो स्थानीय अवकाश घोषित किए

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री सिद्वार्थ महाजन ने प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जिले में वर्ष 2017 के लिए दो स्थानीय अवकाश घोषित किये हैं।

श्री महाजन द्वारा जारी आदेश के अनुसार 20 मार्च 2017, सोमवार को शीतलाष्टमी मेला चाकसू एवं 25 अगस्त 2017, शुक्रवार को गणेश चतुर्थी के स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं।

विधालयों के खोलने के समय में परिवर्तन

जिला कलेक्टर श्री सिद्दार्थ महाजन ने जिले में शीतलहर को देखते हुए राजकीय एवं गैर राजकीय विधालयों को 12 जनवरी से विधालय खोलने के समय में बदलाव किया है।

जिला कलेक्टर श्री सिद्दार्थ महाजन ने एक आदेश जारी कर मौसम विभाग के पूर्वानुमान एवं वर्तमान शीत लहर को देखते हुए तथा शिक्षा अधिकारियों से विचार विमर्श कर जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विधालयों को 12 जनवरी से विधालय खोलने का समय प्रातः 9:30 बजे अग्रिम आदेश तक निर्धारित किया है। जिला कलेक्टर ने शिक्षा अधिकारियों प्रारम्भिक एवं माध्यमिक को उक्त आदेश की मोनिटरिंग करने के लिए पाबंद किया है। जिला कलेक्टर ने इन आदेशों के निर्देशों की पालना नहीं करने वाले विधालयों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

19 बाल श्रमिक मुक्त कराए

जिला प्रशासन एवं श्रम विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को बाल श्रमिकों की रोकथाम के तहत 19 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया।

उपखण्ड अधिकारी शहर उत्तर श्री उम्मेद सिंह ने बताया कि किशोर न्याय बालकों की देख –रेख और सरंक्षण अधिनियम 2015 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बाल श्रम की रोकथाम हेतु 19 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया।

उन्होंने बताया कि बाल श्रमिकों के रेस्क्यू हेतु पुलिस थाना शास्त्री नगर, समाज कल्याण विभाग, मानव तस्करी विरोधी यूनिट, श्रम विभाग एवं स्वंम सेवी संगठन के सहयोग से शास्त्री नगर क्षेत्र में प्रभावी संयुक्त कार्यवाही करते हुए बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया।

तम्बाकू उत्पाद व बाल भिक्षावृति के संबंध में बैठक सम्पन्न

जिले में तम्बाकू उत्पाद, बाल भिक्षावृति की रोकथाम के संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर उत्तर श्री पारस चन्द्र जैन की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट के सभागार में बैठक आयोजित की गई जिसमें तम्बाकू उत्पाद एवं बाल भिक्षावृति की रोकथाम के संबंध में चर्चा की गई।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर श्री जैन ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे तम्बाकू उत्पाद विक्रय एवं भण्डारण तथा बाल भिक्षावृति की रोकथाम की कार्य योजना बनाकर प्रभावी कार्यवाही करें ताकि इन पर अंकुश लग सके। इस कार्यक्रम में श्रम विभाग, पुलिस प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, चिकित्सा विभाग, बाल कल्याण विभाग का भी सक्रिय सहयोग लेकर आवश्यक कार्यवाही करें।

———